समाचार-प्रकाशनार्थ:-

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 15 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के वभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने टी.एल. शकायतों की समीक्षा कर शकायतों का निराकरण 7 दिवस में ऑन लाईन कराये जाने के निर्देश संबं धतों को दिये साथ ही सी0एम0 हेल्प लाईन में दर्ज ग्रे डंग की शकायतों का 3 दिवस में निराकरण करवाये जाने के भी निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन की शकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही कये जाने के निर्देश बैठक में दिये शकायत उच्च स्तर पर दर्ज ना हो सकें। इसके अलावा 100 दिवस से अ धक लंबित शकायतों का 3 दिवस में निराकरण कये जाने के निर्देश संबं धतों को दिये।

इसके अलावा व भन्न आयोगए पी.एम.ए सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबं धत को निर्दे शत कया साथ ही नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालते है डस्टबीन नहीं रखते है उन पर जुर्माना कये जाने साथ ही खुले में शौच व पेशाब करनेए नो पा र्कंग में वाहन खड़े करने वालो पर जुर्माना कये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये।

आयोजित बैठक मंे उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए श्रीमती नीता जैनए प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश वभाग श्री एम0के0 जैनए प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए प्रभारी जलप्रदाय वभाग श्री सत्यप्रकाश आचार्यए प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए प्रभारी उद्यान वभाग श्री अर वन्द दशोत्तरए निगम स चव श्री जसवंत जोशीए प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री क पल मारोठियाए श्री नितिन तिवारी आदि उपस्थित थे।

नव ववाहित दंपति ने लया स्वच्छ और सुंदर रतलाम का संकल्प

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 15 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त कया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। मंगलवार को शहर के हनुमान ताल के आसपास से हटाए गए कचरा स्थालों पर रांगोली का निर्माण कया गया और

वहां मौजूद अनेक लोगों के साथ ही नव ववाहित दंपति ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लए नगर पा लक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अ भयान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त कया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदान**ए** मेरी शान**ए** स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान मंगलवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने हनुमान ताल सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान कया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान कया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग**ए** दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

गंदगी व मलबा फैलाने**ए** अतिक्रमण करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 15 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगीए मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर वनोद प ड़यार जवाहर नगर व राजमाता चन्द्रकुवंर धर्मशाला नजरबाग पर 5000. 5000ए अमजद सैलाना रोड पर 250ए सैलाना रोड क्षेत्र में 5 सब्जी वक्रेताओं द्वारा गंदगी करने पर 100.100 रूपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित मा लयों को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 15 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर मंगलवार को कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित अमर-मोहन व अंसार-अकबर अली माली का वेतन काटे जाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में

अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर **5000.5000** हजार का जुर्माना करेगी।

पैलेस रोड पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर
बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने **38ए70ए373६.** संपत्तिकर व **11ए51ए875६.** जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम **15** दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-**19द्ध** वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गरावट**ए** स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में **31** दिसम्बर **2020** तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर **26** अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो **30** दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी कराया**ए** लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर **2ए38ए224६.** व जलकर **43ए460६.ए** मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर **3ए66ए429६.** व जलकर **43ए830६.ए** जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर **2ए69ए336६.** व जलकर **41ए850६.ए** वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर **3ए94ए652६.** व जलकर **1ए06ए050६.ए** अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर **4ए54ए616६.** व जलकर **84ए000६.ए** तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर **55ए700६.** व जलकर **14ए800६.ए** कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर **65ए133६.** व जलकर **18ए430६.ए** इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए04ए310६.** व जलकर **37ए520६.ए** कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए63ए070६.** व जलकर **41ए200६.ए** प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर **54ए244६.** व जलकर **31ए700६.ए** डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए87ए800६.** व

जलकर **13ए500६.ए** हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर **89ए439६.** व जलकर **29ए500६.ए** डॉ0 मेहरा न र्सग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर **2ए23ए843६.** व जलकर **80ए000६.ए** वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर **78ए232६.** व जलकर **24ए800६.ए** दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर **95ए424६.** व जलकर **46ए350६.ए** बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर **2ए61ए000६.** व जलकर **45ए500६.ए** लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर **2ए58ए000६.** व जलकर **90ए310६.ए** धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर **2ए39ए000६.** व जलकर **1ए58ए845६.ए** आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर **94ए633६.** व जलकर **24ए500६.ए** प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए31ए093६.** व जलकर **68ए580६.ए** महावीर नगर ष वर में जलकर **45ए550६.ए** पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर **1ए65ए120६.** व जलकर **68ए600६.** की एक मुष्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ लया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेेें **38ए70ए373६.** संपत्तिकर व **11ए51ए875६.** जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के तहत वार्ड क्रमांक **39ए 40** व **41** के लये **15** से **16** दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा**ए** वार्ड क्रमांक **25ए 26** व **27** के लये **17** दिसम्बर को चौगारिया भेरू**ए** वार्ड क्रमांक **24ए 25** व **42** के लये **18** दिसम्बर को षक्षा वभाग सायर चबुतरा**ए** वार्ड क्रमांक **43** व **45** के लये **21** से **22** दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास**ए** वार्ड क्रमांक **33ए 34** व **35** के लये **23** से **24** दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास**ए** वार्ड क्रमांक **33** व **34** के लये **26** व **28** दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक **30ए 31ए 32** व **34** के लये **29** से **30** दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुष्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वार्ड वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये **50ए000६.** ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में **100** प्रतिशत की छूट**ए** संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये **50ए000६.** ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये **1ए00ए000६.** ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में **50** प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये **1ए00ए000६.** ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में **25** प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष वार्डवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

54 दिनों में 85 वॉल्व व 397 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 15 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 15 दिसम्बर तक 85 वॉल्व व 397 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 15 दिसम्बर मंगलवार को शास्त्री नगर गंगोत्री अपार्टमेन्ट के सामनेए शास्त्री नगर वाईन शॉप के सामनेए गणेश देवरी काली हवेली के सामनेए सेठजी का बाजार उपासरे के पासए रामबागए इन्द्रलोक नगरए इद्रा नगर मेन रोड व शांति नगर टंकी के पास पाईप लाईन लीकेज मरम्मत के साथ ही गोमदड़े की पुल के पासए कस्तुरबा नगर मुख्य मार्गए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पासए गौशाला चौराहा व रत्नेश्वर रोड के वॉल्व की मरम्मत करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रो लक केटल कैचर से पकड़े 7 मवेषी

स्वच्छंद वचरण करने वाले 407 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक 407 मवे शयों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रो लक केटल कैचर क्रय कया गया हैए नवीन हाईड्रो लक कैटल कैचर से मवे शयों को पकड़ने में सु वधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते है तथा उन्हे कसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 15 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 407 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 दिसम्बर मंगलवार को गांधी नगरए जवाहर नगरए वनोबा नगरए इन्द्रा नगर से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/15ण्12ण्2020/न.पा.निगमए रतलाम.